

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (शाहपुरा)

मथरालाल पिता नाथु कीर नि. भरणीकला

बनाम

लादू पिता बालु वैष्णव नि. भरणीकला वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111. 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 446/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म कि तामील में जारी हुये
28/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल / संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भरणीकला प. ह. भरणीकला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1589/942 कुल किता 1 रकबा 0.3996 हैक्टेयर व आ. न. 1210/942 कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडीसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक / प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्मत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम भरणीकला प. ह. भरणीकला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1589/942 कुल किता 1 रकबा 0.3996 हैक्टेयर व आ. न. 1210/942 कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टेयर की उमय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक:- 28 / 05 / 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)</p>	

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/ रीडर / 2024 / 446/2024

दिनांक :- 28/05/2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय प्र. स..... 446 / 24 अनवान मथरालाल पिता नाथु कीर नि.
भरणीकला बनाम लादू पिता बालु वैषणव नि. जीरा, छोटू पिता कल्याण धाकड़ नि.
भरणीकला, छितरसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत नि. भरणीकला, किशन पिता
कल्याण बलाई नि. भरणीकला, सुगन पिता भैरु बलाई नि. भरणीकला, सीताराम
पिता रतना धाकड़ नि. भरणीकला, काशीराम पिता रतना धाकड़ नि. भरणीकला,
लालाराम पिता हरनाथ धाकड़ नि. भरणीकला, सवाईराम पिता उदा धाकड़ नि.
भरणीकला, बदरिलाल पिता उदा धाकड़ नि. भरणीकला, भूरा पिता बालू धाकड़
नि. भरणीकला, हरीराज पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत नि. भरणीकला, भगवानसिंह
पिता मूतबन्ना भैरुसिंह राजपूत नि. भरणीकला, मनोहरलाल पिता गोपाल धाकड़
नि. भरणीकला, गणपतसिंह पिता सोजीसिंह राजपूत नि. भरणीकला, भुवाना पिता
गोपाल धाकड़ नि. भरणीकला, वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम भरणीकला प. ह. भरणीकला
तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1589/942 कुल किता 1 रकबा 0.3996 हैक्टेयर
व आ. न. 1210/942 कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की
उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोंपा को कमीश्रर नियुक्ति किया जाता
है। कमीश्रर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100
रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं
किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)